न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 13/2007/225 आर टी ए

1. काशीपुरी पुत्र लालपुरी (फौत)
1/1 भुगानी पुत्री काशीपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
1/2 कमला पुत्री काशीपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
1/3 शेरा पुत्र काशीपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
1/4 गुडडी पुत्री काशीपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
1/5 कृष्णा पुत्री काशीपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
1/6 नारायणी पुत्र काशीपुरी (फौत)
1/6/1 भालगर पुत्र नारायणी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
1/6/2 बुहिगर पुत्र नारायणी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
1/6/3 मोहनगिर पुत्र नारायणी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।

––अपीलांटस

बनाम

1. दुलाराम पुत्र मूंगपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र मुंशीराम जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. प्रेम पुत्र मुंशीराम जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. गोपीराम पुत्र मुंशीराम जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।

––– रेस्पोडेंटस

5. रूकमा पुत्री काशीपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. शारदा पुत्री काशीपुरी जाति गुसाई निवासी जबरासर तहसील नोहर।

––तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.03.2007 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर
प्र0सं0 64/2006 अनवानी काशीपुरी बनाम दुलाराम आदि

उपस्थित :–
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस सं. 1 ता 4

निर्णय दिनांकः–13.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट काशीपुरी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए पेश कर इसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया कि आराजी जरई साबिका खसरा नं. 250 तादादी 44.16 बीघा वाके रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर काशीपुरी व उसके भाई मुंगपुरी की सम्वत 2007 से उस वक्त के जागीरदार से रकम के बदले सदा के लिये वास्ते काश्त प्राप्त की हुई भूमि है तथा उक्त भूमि सम्वत 2012 यानि 15.10.95 को अपीलांट काशीपुरी व उसके भाई के कब्जा काश्त मे बतौर काश्तकार थी तथा वे दोनो

उक्त भूमि के बहिस्सा बराबर निस्फ निस्फ हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुए। उक्त भूमि मे अपीलांट के निस्फ हिस्सा मे मूंगपुरी के पुत्र पुत्रियों का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त भूमि का काशीपुरी अपीलांट मुन्शीपुरी व दुलाराम पि0 मूंगपुरी के पक्ष मे परित्याग नही कर सकता था। अपीलांट को खाता तकसीम का बहाना बनाकर मुंशीपुरी व दुलाराम ने उसे विश्वास मे लेकर दिनांक 29.10.01 को विवादित भूमि खसरा नं. 385 तादादी 44.16 बीघा जिसमे अपीलांट का निस्फ हिस्सा यानि 22.08 बीघा भूमि है, मे से 17.00 बीघा भूमि की धोखा देकर अपने पक्ष मे दस्तबरदारी करवा ली जो प्रारम्भतः शून्य एवं प्रभावहीन है। उस शून्य दस्तबरदारी के आधार पर दिनांक 13.03.02 को एक इंतकाल सं. 732 अपने नाम से दर्ज करवा लिया तथा उसके बाद मुंशीपुरी फौत हो चुका है तथा उसके फौत के बाद मूंगपुरी की पुत्रियों व मन्साराम की पुत्रियों व उसकी बेवा से दिनांक 28.06.02 को एक अन्य दस्तबरदारी आराजी खसरा नं. 385 तादादी 44.16 बीघा मे से निस्फ हिस्सा यानि 22.08 बीघा भूमि जो मूंगपुरी की थी उसमे मूंगपुरी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र पुत्रियो का बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ तथा मन्साराम की मृत्यु के बाद जो काशीपुरी वाली 17.00 बीघा भूमि थी जिसमे मन्साराम व दुलाराम का जरिये इंतकाल सं. 732 दिनांक 13.03.02 को निस्फ निस्फ हिस्सा दर्ज करवा लिया थी। इसी आधार पर अपीलांट ने 212 आरटीए के तहत वादग्रस्त भूमि के संबंध मे रिसीवर नियुक्त करने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा नीचे की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर नही किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

मे प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित होते हुए भी बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानून भूल की है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट व उसके भाई मूंगपुरी की स्वअर्जित खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि के वे दोनो भाई अधिकारी थे। उक्त भूमि के अपीलांट के निस्फ हिस्सा मे मूंगपुरी के पुत्र व पुत्रियों का कोई अधिकार नही है। अपीलांट उक्त भूमि का परित्याग नही कर सकता था। उसके आधार पर उनको कोई भी काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही होते है। रेस्पो0 कानून के खिलाफ अपीलांट के हक व हिस्सा का नाजायज फायदा उठा रहे है तथा विचारण न्यायालय को उसके निस्फ हिस्सा की सुरक्षा हेतु उसके हिस्सा की भूमि को कुर्क कर तहसीलदार नोहर को रिसीवर नियुक्त करना चाहिए था मगर विचारण न्यायालय ने कतई गलत आधारो पर आवेदन अपीलांट खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के किसी भी बिन्दू का कोई विश्लेषण व अनुशीलन नही किया है तथा ना ही कानूनी दृष्टांत पर कोई गौर किया है तथा विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे कोई तार्किक आधार दर्ज नही किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1994 पेज 147 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार कर ताफैसला दावा विवादित भूमि खसरा नं. 385 तादादी 44.16 बीघा रोही मौजा जबरासर मे से अपीलांट के हक व हिस्सा की भूमि जो निस्फ हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा को कुर्क किया जाकर तहसीलदार नोहर को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित करें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता तथा ना हर रिसीवर नियुक्ति के आवश्यक तत्व पूरे होते है। रिसीवर नियुक्ति एक हार्ड रीमेडी है। रेस्पो0 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। कब्जा रेस्पो0 के पास है ऐसी स्थिति मे रिसीवर की नियुक्ति किया जाना कानून के खिलाफ है। स्वयं दस्तबरदारी द्वारा अपने हक का परित्याग अपीलांट काशीपुरी ने ही किया है। अपीलांट काशीपुरी अपने

लिखित कथनो से मुकर नही सकता। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा ना पूर्व मे था और नाही ही अब है तथा ना ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट काशीपुरी का कब्जा रहा है। अपीलांट काशीपुरी ने स्वयं वादग्रस्त भूमि का परित्याग हक रेस्पो0 के पक्ष मे दस्तबरदारी दिनांक 29.10.2006 व इन्तकाल सं. 639 के आधार पर किया है तथा दस्तबरदारी दिनांक 29.10.06 इंतकाल सं. 639 सही एवं साधिकार वैध व प्रभावी है। अपीलांट अपने पूर्व किये गये परित्याग के विरूद्ध कथन से एवं हस्ताक्षर से एस्टोपलड है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो सही है। राजीनामा दिनांक 24.04.17 जो गुडी पुत्री काशीपुरी द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे किया गया जिसमे काशीपुरी की पुत्री गुडी द्वारा भी दस्तबरदारी दिनांक 29.10.2001 को साधिकार वैध व सही माना है तथा प्रश्नगत भूमि मे पानी लगने के लालचवंश गुडी के पिता ने वाद पेश किया होना भी माना है। अधिवक्ता रेस्रपो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2013 पेज 72, आरआरडी 1975 पेज 324, आरआरटी 2017(1) पेज 234, आरआरडी 1973 पेज 176, आरआरडी 2002 पेज 626 न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा फार्म नं. 3 के साथ फोटोप्रति रिपोर्ट सहायक निदेशक कृषि विस्तार केन्द्र नोहर, फोटोप्रति राजीनामा दिनांक 24.1.17 द्वारा गुडी पुत्री काशीपुरी बहक दुलाराम आदि प्रस्तुत किये। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट का तर्क है कि आराजी जरई साबिका खसरा नं. 250 तादादी 44.16 बीघा वाके रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर काशीपुरी व उसके भाई मुंगपुरी की सम्वत 2007 से उस वक्त के जागीरदार से रकम के बदले सदा के लिये वास्ते काश्त प्राप्त की हुई भूमि है तथा उक्त भूमि सम्वत 2012 यानि 15.10.95 को अपीलांट काशीपुरी व उसके भाई के कब्जा काश्त मे बतौर काश्तकार थी तथा वे दोनो उक्त भूमि के बहिस्सा बराबर निस्फ

निस्फ हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुए। उक्त भूमि मे अपीलांट के निस्फ हिस्सा मे मूंगपुरी के पुत्र पुत्रियों का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त भूमि का काशीपुरी अपीलांट मुन्शीपुरी व दुलाराम पि0 मूंगपुरी के पक्ष मे परित्याग नही कर सकता था। अपीलांट को खाता तकसीम का बहाना बनाकर मुंशीपुरी व दुलाराम ने उसे विश्वास मे लेकर दिनांक 29.10.01 को विवादित भूमि खसरा नं. 385 तादादी 44.16 बीघा जिसमे अपीलांट का निस्फ हिस्सा यानि 22.08 बीघा भूमि है, मे से 17.00 बीघा भूमि की धोखा देकर अपने पक्ष मे दस्तबरदारी करवा ली जो प्रारम्भतः शून्य एवं प्रभावहीन है। इसी आधार पर अपीलांट ने वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र बाबत रिसीवर नियुक्ति प्रस्तुत किया गया।

6. रेस्पो0 का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता तथा ना हर रिसीवर नियुक्ति के आवश्यक तत्व पूरे होते है। रिसीवर नियुक्ति एक हार्ड रीमेडी है। रेस्पो0 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। कब्जा रेस्पो0 के पास है ऐसी स्थिति मे रिसीवर की नियुक्ति किया जाना कानून के खिलाफ है। स्वयं दस्तबरदारी द्वारा अपने हक का परित्याग अपीलांट काशीपुरी ने ही किया है। अपीलांट काशीपुरी अपने लिखित कथनो से मुकर नही सकता। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा ना पूर्व मे था और नाही ही अब है तथा ना ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट काशीपुरी का कब्जा रहा है। अपीलांट काशीपुरी ने स्वयं वादग्रस्त भूमि का परित्याग हक रेस्पो0 के पक्ष मे दस्तबरदारी दिनांक 29.10.2006 व इन्तकाल सं. 639 के आधार पर किया है तथा दस्तबरदारी दिनांक 29.10.06 इंतकाल सं. 639 सही एवं साधिकार वैध व प्रभावी है। अपीलांट अपने पूर्व किये गये परित्याग के विरूद्ध कथन से एवं हस्ताक्षर से एस्टोपलड है।

7. उपरोक्त परिस्थितियों मे अपीलांट काशीपुरी व उसके भाई के नाम कुल 44.16 बीघा भूमि थी जिसमे दोनो का 1/2–1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था। काशीपुरी द्वारा दिनांक 29.10.2001 को मूंगपुरी के पुत्रो दुलाराम, जगदीश, प्रेम व गोपीराम पि. मूंगपुरी के पक्ष मे दस्तबरदारी कर दी गई। उक्त दस्तबरदारी के आधार पर रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के

नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। प्रश्नगत दस्तबरदारी दिनांक 29.10.2001 पंजीकृत दस्तावेज है तथा रेस्पो0 वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत रिसीवर नियुक्ति के बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन, साम्य न्याय व प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत रेस्पो/गैरसायल के पक्ष मे साबित मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे बिना किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2007 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ